न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 06 / 2025 / जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. गणेश कुमार पुत्र भंवरलाल 2. वीणादेवी पत्नी गणेश कुमार 3. मदनलाल पुत्र कानाराम 4. दलूदेवी पत्नी मदनराम 5. हनीफखान पुत्र इमामखान 6. जमालदीन पुत्र हनीफखान निवासीयान पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1. कृष्णा कंवर पत्नी गजेन्द्रसिंह, निवासी रिजका चौक पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 2. आदित्यसिंह पुत्र रघुराजसिंह 3. करमवीरसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह 4. खेतकंवर पत्नी स्वरूपसिंह 5. गीतांजली पत्नी किशनसिंह निवासीयान पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 6. देरावरसिंह पुत्र भाखरसिंह निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलौदी 7. दिव्यासिंह राठौड़ पुत्री किशनसिंह निवासी पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 8. नखतसिंह पुत्र भाखरसिंह निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलौदी 9. परबतसिंह पुत्र जालमसिंह निवासी पीलवा तहसील लोहावट जिला जोधपुर 10. मधुबाला राठौड़ पत्नी रघुराजसिंह 11. रिया राठौड़ पुत्री रघुराजसिंह 12. शिवानी राठौड़ पुत्री किशनसिंह 13. सुमेर कंवर पत्नी नारायणसिंह 14. अशोक कुमार पुत्र शिवकरण 15. रूखमोदेवी पत्नी शिवकरण 16. रेखादेवी पुत्री शिवकरण 17. ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम 18. किशन पुत्र शिवकरण 19. धनी पुत्री शिवकरण 20. छोटादेवी पुत्री शिवलाल 21. ताराचन्द पुत्र लाधुराम 22. दमाराम पुत्र शिवकरण 23. दुर्गा पुत्री शिवकरण 24. पार्वती पुत्री शिवकरण 25. सावित्रिदेवी पत्नी श्रीप्रकाश 26. गंगादेवी पत्नी महेन्द्र व्यास निवासीयान पोकरण, तहसील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	पोकरण जिला जैसलमेर 27. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर 28. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पोकरण, जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 16/2025 बउनवान कृष्णा कंवर बनाम गणेशकुमार वगैरह आदेश दिनांक 17.03.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर, श्री इकबाल खान अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री श्री छैलसिंह राठौड़ उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—17.06.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश कर जाहिर किया कि वादीनी/उत्तरदाता संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी का एक खेत मौजा पोकरण के खसरा संख्या 2378/953 रकबा 3.7717 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 01 का 1/12 हिस्सा है। वादीनी द्वारा पेश वाद में दर्ज के स्टेज पर अपीलाधीन आलोंच्य आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्थापित है कि उक्त आदेश अंतरिम न होकर अंतिम आदेश है क्योंकि उक्त आदेश वाद प्रस्तुति के दिन ही बिना अपीलकर्तागण की तलबी जारी किये एवं बिना अपीलकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में धारा 188 अथवा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही इस बाबत उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा वाद का मूल्यांकन एवं बिना न्याय शुल्क अदा किये वादीनी स्थायी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अपीलाधीन आराजी को पैतृक व पुश्तैनी बताकर पेश किया गया। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मुताबिक किशनकंवर द्वारा वादीनी कृष्णाकंवर के पक्ष में दिनांक 19.11.2024 पंजीबद्ध बक्शीशनामा निष्पादित कर अंतरण किया गया। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांटगण सहित नरपतराम के पक्ष में श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पोकरण द्वारा दिवानी मूल वाद संख्या 27/2010 उनवान गणेशकुमार वगैरह बनाम सुमेर कंवर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री पर्चा दिनांक 30.11.2024 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपीलकर्तागण के कब्जे काश्त में किशन कंवर बेवा अमरसिंह, जिसने वादीनी/उत्तरदाता संख्या 01 के पक्ष में पंजीबद्ध बक्शीशनामा निष्पादित किया है को अपीलकर्तागण के वादग्रस्त भूखण्डों में अपीलकर्तागण के उपयोग व उपभोग में कोई दखलंदाजी स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से न करने बाबत पाबंद किया गया है। वादग्रस्त परिसर अपीलकर्तागण के वैध स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टासुदा परिसर है। वादग्रस्त परिसर पर भवन निर्माण करने हेतु भवन निर्माण स्वीकृति भी जारी कर रखी है। विधि अनुसार धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद दर्ज करने एवं उस पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने की अधिकारिता अनुसूची तीन के तहत सहायक कलक्टर को है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह उपखण्ड अधिकारी के नाम पद व मोहर से जारी किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांटगण को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिसें अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उत्तरदाता संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया। अपीलांटगण द्वारा मौके पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण के नाम से किसी प्रकार का कोई पट्टा जागीर काल में जारी नहीं किया गया। सिविल न्यायालय के समक्ष पेश वाद में वादीनी पक्षकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय पोकरण के मुकदमा संख्या 27/2010 वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत पट्टे के आधार पर वादपत्र निर्णीत करवाया गया, जबकि वादीनी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 द्वारा खरीद की गई भूमि के मूल पट्टा नम्बर 271/1956–57 मिसल नम्बर 172/56 दिनांक 22.10.1956 के स्वामित्व व पट्टा सही होने के संबंध में कार्यालय उप निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, शासन सचिवालय परिसर, जयपुर दिनांक 24.02.2025 को उक्त मूल पट्टे का रिकॉर्ड चाहा गया तब ज्ञात हुआ कि उक्त मूल पट्टा रेकर्ड में दर्ज होना नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 पट्टे की आड़ में वादीनी की पुश्तैनी भूमि पर कब्जे करने व टाईटल तैयार करने की फिराक है। उक्त पट्टा सरासर कूटरचित एवं फर्जी व मिथ्या है। अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश में वर्णित भूमि व हस्तगत वाद में वर्णित भूमि दोनों अलग–अलग हैं। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादीनी/उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष पीटीशन संख्या 10351/2025 पेश किया गया। उक्त पीटीशन में पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 की पालना में हाजा न्यायालय द्वारा बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद दर्ज होने की स्टेज पर ही मूल वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया गया। अपीलाधीन आदेश अंतरिम नहीं होकर अंतिम आदेश है। उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद अंतर्गत धारा 188 अथवा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। अंतर्गत धारा 188 अथवा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद पेश नहीं करने के बावजूद

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश मूल वाद के निस्तारण तक जारी किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वाद दर्ज करने एवं उस पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने की अधिकारिता अनुसूची तीन के तहत सहायक कलक्टर को है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारितं किया गया है वह उपखण्ड अधिकारी के नाम, पद व मोहर से जारी किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी को धारा 183 राजस्थाश्न काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति का बिन्दु एवं सुविधा का संतुलन के साथ ही प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों की विवेचना कर ही आदेश पारित करना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की पूर्णतः अनदेखी कर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटस के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 16/2025 बउनवान कृष्णा कंवर बनाम गणेशकुमार वगैरह आदेश दिनांक 17.03.2025 को निरस्त/अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

13/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर (नवनीत कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर